सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/662 दर्ज तिथिः–19.09.2025

1. श्रीराम बनाम हेमाराम
   जाति विश्नोई निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी।

......................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार गुड़ामालानी।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया–
   - कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1690/4 रकबा 6.5640 है0 सरहद मौजा गुड़ामालानी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
   - कि प्रार्थी के खातेदारी खेत तक आने–जाने के लिए खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, खसरा संख्या 1690 रकबा 0.0486 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/7 रकबा 0.0567 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/5 रकबा 0.1619 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 2142/1690 रकबा 0.0162 है0 किस्म बा0सो0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में से वक्त सेटलमेंट से रास्ता का उपयोग किया जा रहा है।
   - कि उक्त खसरों में से प्रार्थी के आने–जाने के लिए उपयोग में आ रहा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण उक्त रास्ते पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है।
   - कि खसरा संख्या खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, खसरा संख्या 1690 रकबा 0.0486 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/7 रकबा 0.0567 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/5 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

0.1619 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 2142/1690 रकबा 0.0162 है0 किस्म बा0सो0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया एवं खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में हाजा न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/677 दिनांक 23.09.2025 द्वारा तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी का पत्रांक/राजस्व/2025/544 दिनांक 09.10.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है–

   - कि खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, खसरा संख्या 1690 रकबा 0.0486 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/7 रकबा 0.0567 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/5 रकबा 0.1619 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 2142/1690 रकबा 0.0162 है0 किस्म बा0सो0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में मौके पर रास्ता चालू है।
   - कि खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, खसरा संख्या 1690 रकबा 0.0486 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/7 रकबा 0.0567 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/5 रकबा 0.1619 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 2142/1690 रकबा 0.0162 है0 किस्म बा0सो0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाना उचित है।
   - कि खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म होने से क्षतिपूर्ति हेतु इसी ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1656/2 रकबा 0. 9721 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में से 0.3156 है0 एवं ग्राम गुड़ामालानी के खसरा सख्या 1991/1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बा0दो0 में से 0.4613 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनो खसरों में से कुल 0.7769 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किया जाना उचित है।

3. प्रकरण में खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म होने से क्षतिपूर्ति हेतु इसी ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1656/2 रकबा 0.9721 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में से 0.3156 है0 एवं ग्राम गुड़ामालानी के खसरा सख्या 1991/1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बा0दो0 में से 0.4614 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनो खसरों में से कुल 0.7769 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किये जाने का प्रस्ताव न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2025/982 दिनांक 26.12.2025 एवं 985/26.12.2025 द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

4. तत्पश्चात प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का पत्रांक प. 12(3)(158)राज / 2025 / 4534 दिनांक 31.12.2025 द्वारा आराजी खसरा संख्या 1987 / 1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133 / 2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म होने से क्षतिपूर्ति हेतु इसी ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1656 / 2 रकबा 0.9721 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में से 0. 3156 है0 एवं ग्राम गुड़ामालानी के खसरा सख्या 1991 / 1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बा0दो0 में से 0.4614 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनो खसरों में से कुल 0.7769 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर में क्षतिपूर्ति करने का आदेश प्रदान देते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम–1957 के उपनियम 60 में नवीन उपबन्ध (एच) जोड़े जोने के क्रम राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2008 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम–1957 के नियम–58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

6. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा का विश्लेषण आवश्यक है

मौके पर चलित रास्ता गैर मुमकिन गोचर खसरा संख्या 2133 / 2126	मौके पर चलित गैर मुमकिन गोचर खसरा संख्या 1987 / 1983
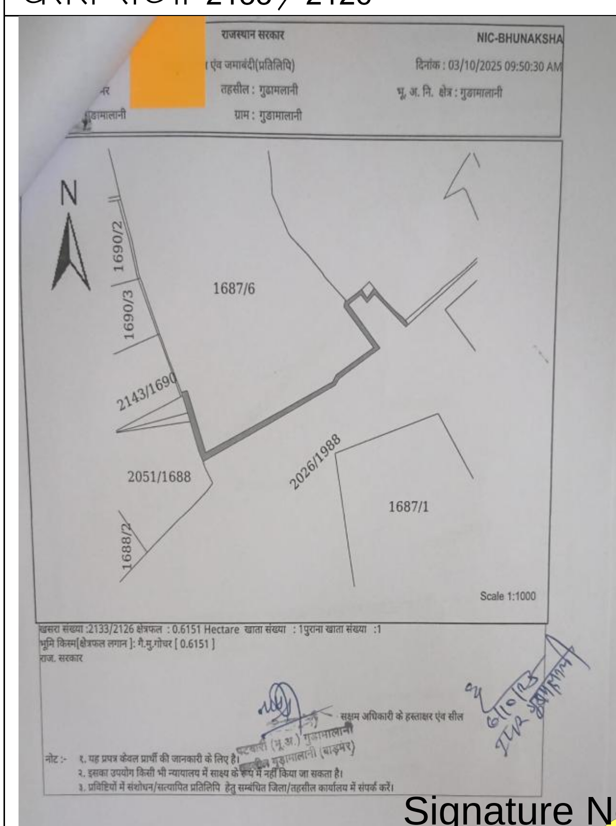	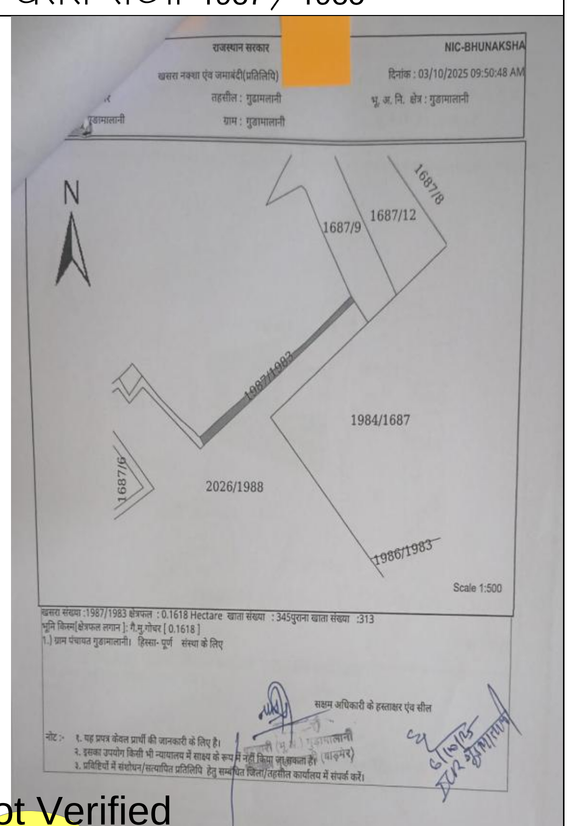

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 2133 / 2126 किस्म गैर मुमकिन गोचर एवं खसरा संख्या 1987 / 1983 किस्म गैर मुमकिन गोचर की क्षतिपूर्ति खसरा संख्या 1656 / 2 किस्म बा0दो0 एवं खसरा संख्या 1991 / 1915 किस्म बा0दो0 का नजरी नक्शा

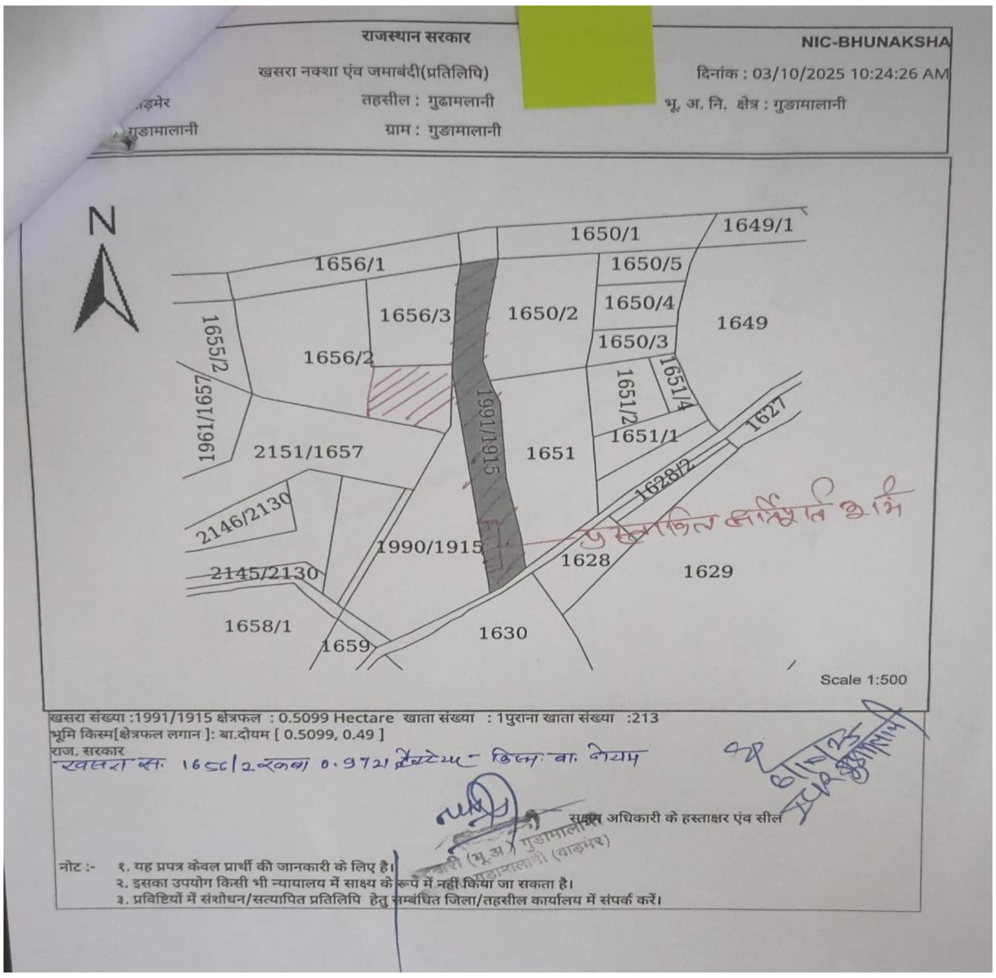

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा—131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू—राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम—1957 के नियम—58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यद्यित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ता खसरा संख्या 1987 / 1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133 / 2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म होने से क्षतिपूर्ति हेतु इसी ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1656 / 2 रकबा 0.9721 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में से 0. 3156 है0 एवं ग्राम गुड़ामालानी के खसरा सख्या 1991 / 1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बा0दो0 में से 0.4614 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनो खसरों में से कुल 0.7769 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर में क्षतिपूर्ति किया जाकर प्रकरण में मौका रिपोर्ट द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही खसरा संख्या 1690 रकबा 0.0486 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690 / 7 रकबा 0.0567 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690 / 5 रकबा 0.1619 है0 किस्म बा0सो0, संख्या 2142 / 1690 रकबा 0.0162

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested

है0 किस्म बा0सो0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वर्तमान में मौके पर चलायमान रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम–1957 के नियम–58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार रास्ता खसरा संख्या खसरा संख्या 1987/1983 रकबा 0.1618 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर, 2133/2126 रकबा 0.6151 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की किस्म होने से क्षतिपूर्ति हेतु इसी ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1656/2 रकबा 0.9721 है0 किस्म बा0दो0 भूमि में से 0.3156 है0 एवं ग्राम गुड़ामालानी के खसरा सख्ंया 1991/1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बा0दो0 में से 0.4614 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति करते हुए साथ ही खसरा संख्या 1690 रकबा 0.0486 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/7 रकबा 0.0567 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 1690/5 रकबा 0.1619 है0 किस्म बा0सो0, खसरा संख्या 2142/1690 रकबा 0.0162 है0 किस्म बा0सो0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वर्तमान में मौके पर चलायमान रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.13 12:28:40 IST
Reason: SelfAttested